न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– डॉ.रविन्द्र गोस्वामी IAS

प्रकरण संख्या –59/2022 (अपील)
जीसीएमएस नं0 2022/181

1. कान्ती बाई पत्नी रमेशचन्द जाति मेहर, निवासी ग्राम लखारिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

––अपीलांट

बनाम

1. दिनेश आत्मज शोभाराम मेहर
2. लक्ष्मी बाई पत्नी रत्तीराम मेहर
3. सांवरलाल आत्मज शोभाराम
4. सरदार बाई पत्नी शोभाराम मेहर
5. तारा बाई पुत्री शोभाराम मेहर
6. संतोष पुत्री शोभाराम मेहर
7. पूजा पुत्री रत्तीराम मेहर

निवासीगण ग्राम लखारिया तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा

––रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बनाराजगी आदेश दिनांक 07.02.2022 न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी बउनवान दिनेश वगै0 बनाम रतनलाल वगै0 मिसल संख्या 5/2021 अन्तर्गत धारा 183–बी

उपस्थितः–

1. **श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक अपीलांट**
2. **श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक रेस्पो0**

निर्णय

दिनांक 06.02.2024

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी के सम्बन्ध में प्रकरण सं0 05/2021 में दिनांक 07.02.2022 को पारित निर्णय"प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है और अनुसूचित जाति के व्यक्ति है । उनके खाते की भूमि पर अन्य किसी भी जाति के व्यक्ति का कब्जा विधि सम्मत नहीं है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थी को विवादित आराजी से बेदखल करके प्रार्थी को कब्जा सम्भलाया जावें । पटवारी हल्का को तहसील जारी हो ।" बाबत आदेश पारित किया गया ।
2. उक्त निर्णय की अप्रसन्नता से यह अपील दिनांक 06.06.2022 को लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र की धारा 5 के साथ इस न्यायालय में पेश की गई है कि रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 183–बी का प्रार्थना पत्र रतनलाल, रामदयाल व रमेश के विरूद्व प्रस्तुत किया गया था उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 7.2.2022 को स्वीकार करते हुए उक्त आराजी खसरा नम्बर 25 की 0.81 हे0 ग्राम लखारिया तहसील रामगंजमण्डी से रतनलाल, रामदयाल व रमेश को बेदखल करने का आदेश प्रदान किया गया है जो विधि के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है । रतनलाल की मृत्यु लगभग 1 वर्ष पूर्व 28.01.2021 को एवं रमेश की मृत्यु दिनांक 5.9.2021 को हो चुकी है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस तामिल कराए बिना एवं बिना सुनवाई के ही मृतक व्यक्तियों के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है तथा उक्त विवादित भूमि में अपीलांटा 1/2 हिस्से की खातेदार है । खातेदारी भूमि से अपीलांटा को बेदखल

जिला कलक्टर
कोटा

नहीं किया जा सकता है । अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्व होने से निरस्त फरमाया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये, रेस्पो0 की ओर से अभिभाषक श्री जितेन्द्र नामा का वकालतनामा पेश हुआ । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से पूर्व की पत्रावली संख्या 8/2020 निर्णय दिनांक 29.7.2021 भिजवाई गई जिसमें अपीलाधीन आदेश संलग्न नहीं है । वकील उभयपक्ष उपस्थित । अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत अपीलाधीन आदेश एवं दस्तावेजों के आधार पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों के तथ्यों को ही अपनी बहस में दौहराते हुए जाहिर किया कि रतनलाल की मृत्यु लगभग 1 वर्ष पूर्व 28.01.2021 को एवं रमेश की मृत्यु दिनांक 5.9.2021 को हो चुकी थी इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 7.2.2022 को मृतक व्यक्ति अप्रार्थीगण के विरूद्व आदेश पारित किया है । वैधानिक रूप से मृतक के विरूद्व पारित आदेश प्रारम्भ से ही शून्य है और कानूनी रूप से मृतक के विरूद्व निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है इसलिये उक्त आदेश विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है । अपीलांट के द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजी ख0नं0 25 0.81 हे0 में से 1/2 हिस्सा आराजी को विक्रेता / खातेदार अनार बाई पुत्री रामलाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.11.2020 को खरीद की गई थी जिसके विक्रय पत्र का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय रामगंजमण्डी के यहां हो रहा है । क्रय दिनांक से ही अपीलांट का उक्त वर्णित आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है । वर्तमान में अपीलांट व रेस्पो0 उक्त खसरा नम्बर के संयुक्त खातेदार है अभी तक उक्त भूमि का सक्षम न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से विभाजन नहीं हुआ है इसलिये वैधानिक प्रावधानों के अनुसार संयुक्त खातेदारी की भूमि पर सभी खातेदारों का प्रत्येक इंच भूमि पर निरन्तर व निर्बाध कब्जा माना जाता है । अपीलांट व रेस्पो0 दोनों एक ही जाति के है इसलिये वैधानिक रूप से दोनों के मध्य धारा 183–बी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के बावजूद भी उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भारी त्रुटि की है, वैसे भी अपीलांट उक्त ख0नं0 25 की 0.81 हे0 की 1/2 हिस्सा आराजी की खातेदार कृषक है जो मृतक रमेश पुत्र रतनलाल की पत्नी है तथा मृतक रमेश के विरूद्व पारित निर्णय के आधार पर अपीलांट को किस प्रकार से उक्त हिस्सा आराजी से बेदखल किया जा सकता है । अपीलांट उक्त आराजी की रजिस्टर्ड स्वामी है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकार बनाये बिना एवं उसका पक्ष सुने बिना ही एकतरफा रूप से बेदखली के आदेश प्रदान किये गये है, इस कारण उक्त निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है तथा रामदयाल पुत्र रतनलाल मेहर का मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त वाद वर्णित आराजी पर किसी भी प्रकार से कब्जा नहीं है इसलिये उसे अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 7.2.2022 को निर्णय पारित किया गया है जिसमें अपीलांट किसी भी प्रकार से पक्षकार नहीं थी और अपीलांट को किसी भी प्रकार से कोई जानकारी थी तत्पश्चात अपीलांट को तहसील के कर्मचारी दिनांक 19.5.2022 को मौके पर आये एवं अपीलांट को जबरन बेदखल करने की धमकियां देने एवं न्यायालय का आदेश दिखाने पर अपीलांट ने उसी दिन 19.5.2022 को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर यह अपील पेश की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील दिनांक 7.2.2022 को निरस्त फरमाया जावें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त विवादित आराजी पर रतनलाल, रमेश एवं रामदयाल जाति मेहर का कब्जा था, जबकि यह आराजी हमारे खाते की है कब्जा हटाने हेतु अप्रार्थीगण को कहने पर लड़ाई झगड़ा करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय में 183–बी के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त होना जाहिर आने से अपीलाधीन आदेश पारित कर रेस्पोडेन्ट को बेदखली का आदेश पारित किया है । जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो बेदखली का आदेश पारित किया है वह 183–बी के प्रावधानों

के अन्तर्गत आता है । अपीलान्ट का कथन सत्य नहीं है कि अपीलांट ओर रेस्पो0 एक ही जाति के होने से 183–बी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है, एक्ट के प्रावधान अनुसार अनुसूचित जाति /जन जाति की भूमि पर अन्य व्यक्ति का कब्जा होने पर 183–बी के प्रावधान लागू होंगे । अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी के निर्णय दिनांक 07.02.2022 के विरूद्व दिनांक 06.06.2022 को पेश की गई है, जो अन्दर मियाद नहीं होकर विलम्ब से पेश की गई है,अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य हेतु लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, विलम्ब का कारण निर्णय दिनांक 7.2.2022 की जानकारी अपीलांटा को नहीं थी क्योंकि वह पक्षकार नहीं थी बिना सुनवाई के आदेश पारित करने से तथा दिनांक 19.2.2022 को तहसील के कर्मचारी मौके पर आने व उनके द्वारा बेदखल करने बाबत कहने व आदेश दिखाने पर होना अंकित किया है । अपीलांट द्वारा बताये गये विलम्ब का कारण उचित है । लिमिटेशन की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है ।

7. वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 2 की उक्त विवादित भूमि खसरा नं0 25 की 0.81 हे0 में अपीलान्टा कान्तिबाई पत्नि रमेशचंद हिस्सा 1/2 की खातेदार है तथा शेष भूमि पर रेस्पो0 भी सहखातेदार है । अपीलांट का कथन उचित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक व्यक्ति के विरूद्व बिना सुनवाई के ही आदेश पारित कर दिया है, पत्रावली में उपलब्ध मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार रमेश चंद की मृत्यु दिनांक 5.9.2021 को एवं रतनलाल की मृत्यु 28.01.2021 को हो चुकी है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.2.2022 को पारित किया है, इसी प्रकार पर्चा मौका दिनांक 27.01.2022 अनुसार उक्त विवादित भूमि पर कान्ती बाई पत्नि रमेश, जगदीश, पूरणमल पिसरान रमेश जाति मेहर का कब्जा होना जाहिर आया है रतनलाल एवं रामदयाल का कब्जा नहीं होना बताया है । जब मौका पर्चा में कान्ति बाई का कब्जा होते हुए भी कान्तिबाई को पार्टी नहीं बनाया गया तथा रामदयाल व रतनलाल का कब्जा नहीं होते हुए भी पार्टी बनाया गया, हम यह मानते है कि उक्त विवादित भूमि पर रेस्पो0 भी सह खातेदार है किन्तु अपीलांट को कितनी भूमि से बेदखल किया जाना है यह स्पष्ट नहीं है क्योंकि उक्त भूमि अपीलांट एवं रेस्पो0 के सहखातेदारी में है, अपीलांट कान्ति बाई को बिना सुने ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण आदेश जारी किया गया है । ऐसी स्थिति में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टगण की सहखातेदारी भूमि का विभाजन होना आवश्यक है । बिना विभाजन के अपीलांट को बेदखल करना भी उचित नहीं है । ऐसी स्थिति में पक्षकारान की खातेदारी भूमि का बंटवारा कराया जाकर सीमांकन कराये जाने हेतु प्रकरण पुनः तहसीलदार रामगंजमण्डी को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते है ।

8. परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.2.2022 निरस्त किया जाता है । प्रकरण तहसीलदार रामगंजमण्डी को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट विवादित भूमि के सह खातेदार है, ऐसी स्थिति में इनका विभाजन कराया जावें । विभाजन के पश्चात हिस्सा अनुसार भूमि सभी सह खातेदारान को सुपुर्द किया जावें ।

9. निर्णय आज दिनांक 06.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा